

राजस्व आवेदन संख्या 228/2025 अनवान रिडमलराम बनाम सवाईराम वगैराह

आदेश

1107/25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके है। आज बावजूद सूचना अप्रार्थीगण अनुपस्थित होने से उनके विरुद्ध ईकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। मौजा अजबनगर पटवार क्षेत्र शिवकर तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 48 रकबा 26.6930 हेक्टर भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के अभिलिखित खातेदार हैं तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं जो उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया उपर्युक्त, प्रकरण मौजा अजबनगर पटवार क्षेत्र शिवकर तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 48 रकबा 26.6930 हेक्टर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्रवाई प्रार्थी व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो। पत्रावली फ़ैसल-सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर